मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

शतुरमुर्ग बनी खट्टर सरकार 3
विपक्ष के पास है बड़ा जनाधार 4
क्या मैं भी चुनाव हार गया हूं 5
वेलकम राष्ट्रवादी महंगाई 6
हरियाणा चुनावी विश्लेषण 8

वर्ष 32 अंक -28 फ़रीदाबाद 26 मई-1 जून 2019 फोन -8851091460 ₹2.50

राजकीय महिला कॉलेज फ़रीदाबाद में

कर्मचारी द्वारा नकल के बदले सेक्स प्रकरण

'मज़दूर मोर्चा' के पिछले अंक में आपने पढा कि किस तरह छात्राओं के कन्धे पर बन्दूक रखकर प्रोफ़ेसरों का एक गुट अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इस बीच लगातार इस छात्रा को मोहरा बनाने वालों की कोशिशें जारी हैं।

इस मुकदमे में आगे कार्यवाही करते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग की एक टीम ने कॉलेज का दौरा किया और मामले में जांच पड़ताल की। उससे पहले उच्चतर शिक्षा के 'रायबहादुर' डायरेक्टर जनरल साहब भी सोमवार को नेहरू कॉलेज में पधारे थे लेकिन उन्होंने महिला कॉलेज का रुख नहीं किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महिला कॉलेज के प्रिंसिपल नरेन्द्र कुमार को भी बुद्धवार सायं निलंबित कर दिया गया। बुद्धवार को सेक्टर 16ए स्थित महिला थाने ने भी अपना रौब गालिब करते हुए प्रिंसिपल और उसके द्वारा गठित जांच कमेटी को थाने में बुलाकर चार घंटे तक जलील किया। ध्यान रहे कि इसी थाने की दुर्गा शक्ति नामक टीम इसी कॉलेज में महीनों से रोज चक्कर लगाती रही है लेकिन न तो उनको ही इस घटना का पता चला और न ही लड़की ने इस पुलिस टीम को इतना विश्वसनीय माना कि इसके सामने अपना दुखड़ा रोती।

इस बीच धरने प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। कांग्रेस के छात्र संगठन ने भी एक दिखावा सा किया और प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। गौर करने लायक बात यह है कि यह काम इस संगठन के तिगांव के प्रधान अनिल चेची के नेतृत्व में किया गया। ध्यान रहे कि तिगांव कॉलेज के प्रिंसिपल इकबाल सिंह का नाम भी इस मामले में पहले आ चुका है। कि किस तरह वह इन कॉलेजों में आने के लिये लालायित हैं। यह महोदय कुछ साल पहले तक स्थानीय नेहरू कॉलेज में तैनात थे। एक और संस्था संस्कार फाऊंडेशन ने भी कॉलेज और डीसी दफ़्तर पर प्रदर्शन किया। इसमें नेहरू कॉलेज से रिटायर हुई प्रोफ़ेसर आलोक दीप भी शामिल थी। ये महोदया जब तक कॉलेज में रही इनकी रुचि पढाने से ज़्यादा इस तरह की राजनीति में ज़्यादा रही। आजकल ये संस्कारी बनकर अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने आ रही हैं।

'मज़दूर मोर्चा' ने पीड़ित छात्रा द्वारा सौंपी गयी ऑडियो सीडी को भी ध्यान से सुना। ये सीडी छात्रा और कॉलेज के लैब एटैंडेंट जगदेव के बीच में है। इसमें न तो किसी प्रोफेसर की आवाज़ है और ना किसी का नाम। फ़िर भी इस सीडी को छात्रा का प्रोफ़ेसर द्वारा यौन शोषण के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। पंजाब केसरी का यू ट्यूब चैनल तो इसे छात्रा और शिक्षक के बीच बातचीत के रूप में पेश कर रहा है जो कि शर्मनाक झूठ है। इस बीच छात्रा ने एक और सीडी जारी कर कहा कि साथ वाले नेहरू कॉलेज में तो ये धन्धा पिछले दस सालों से चल रहा है और उसमें एक पुरुष और तीन महिला अध्यापक शामिल हैं।

प्रीता कौशिक : अफवाहों के खिलाऊ तुरन्त कार्यवाही

इकबाल सिंह : दही के भलेखे में कपास खा बैठे

इस बीच नेहरू कॉलेज की प्रिंसिपल प्रीता कौशिक ने फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान कॉलेज में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अनिल गोयल के खिलाफ 21 मई को आईपीसी की धारा 509 के तहत एक एफआईआर थाना सैक्टर 17 में नं 0155 दर्ज करा दी है। उनका आरोप है कि अनिल गोयल झूठे व्हाटस अप मैसेज के द्वारा अफवाह फैलाकर उन्हें और उनके पति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस मैसेज में दावा किया गया है कि नेहरू कॉलेज में छात्राओं के यौन शोषण का एक बड़ा रैकेट चल रहा था जो प्रिंसिपल प्रीता कौशिक के संज्ञान में था लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

पता चला है कि छात्रा के इस आरोप पर नेहरू कॉलेज की प्रिंसिपल प्रीता कौशिक ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने खुलकर बोला कि इस प्रोफ़ेसर का नाम इकबाल है (जो कि आजकल तिगांव कॉलेज में प्रिंसिपल है) और उसने उनके साथ भी छेड़ख़ानी की थी। और मैंने तो उसे माफ़ी मांगने के बाद छोड़ दिया था। उन्होंने बार-बार इस प्रोफेसर का नाम लेते हुये कहा कि इस पर पहले भी इस कॉलेज में एक लड़की से छेड़ख़ानी करने पर शिकायत हुई थी और ऊपर से जांच कमेटी भी आई थी जिसने उसे क्लीन चीट दे दी। लेकिन उसका ट्रांसफ़र कॉलेज से बाहर करवा दिया और आज तक वापस घुसने नहीं दिया जिस कारण से वह छटपटा रहा है। यही छात्राओं के द्वारा उल्टी सीधी शिकायतें करवा रहा है। यह भी पता चला कि यह प्रोफ़ेसर कई सालों तक यूनिवर्सिटी से अपनी ड्यूटी फलाइंग स्क्वाड में लगवाता रहा और खूब नकल करवाता रहा। आजकल ये ठेका उसने अपने ही कॉलेज की महिला प्रोफ़ेसरों को दे रखा है। इन्हीं तिगांव की महिला प्रोफ़ेसरों की टीम ने पिछले दिनों नेहरू कॉलेज के परीक्षा केन्द्र पर छापा मारकर उसे डिस्टर्ब घोषित करवाने की कोशिश की थी लेकिन प्रिंसिपल प्रीता कौशिक ने यूनिवर्सिटी को सारे तथ्य विस्तृत ब्योरे के साथ भेजकर उनकी इस चाल को नाकाम कर दिया। यह भी बताया गया कि उसी दिन इसी कॉलेज में एक दूसरा परीक्षा केन्द्र भी था जिसका इस फलाईंग स्क्वाड ने निरीक्षण ही नहीं किया क्योंकि उसका इन्चार्ज प्रोफ़ेसर इकबाल का (रिश्ते में) साला था।

इन सबसे जाहिर होता है कि नकल का धंधा और पेसे आदि का लेन-देन तो बहुत सालों से इन कॉलेजों में होता था लेकिन वो सब यूनिवर्सिटी और हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से चलता था और उसमें कुछ लोग मोटे पैसे वसूल रहे थे। इसलिये यही लोग बार-बार फ्लाइंग स्क्वाड में अपनी ड्यूटी लगवाते थे। ये लोग नकल के एवज में छात्राओं का यौन शोषण भी करते होंगे इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। और इस गुट के सरगना को प्रिंसिपल प्रीता कौशिक ने तड़ी पार करवा रखा है तो वो वापिस आने के लिये, छात्राओं से शिकायत करवाने के ओछे तरीके अपना रहा होगा, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस बीच महिला थाने की पुलिस ने पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज किये हैं और अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज करवाये हैं। छात्रा ने अपने बयान में प्रोफ़ेसर वशिष्ठ का नाम लिया बताते हैं, हालांकि इस बारे में कोई सबूत उसने नहीं दिये हैं। छात्रा ने यह भी कहा बताते हैं कि प्रोफ़ेसर वशिष्ठ अपनी पसंद की छात्राओं को कॉलेज टूर पर ले जाते थे। लेकिन सूत्रों से ये भी पता चला है कि पीड़ित छात्रा का आरोपी कर्मचारी विक्रम से अफेयर चल रहा था। उसने प्रोफ़ेसर वशिष्ठ से कॉलेज टूर में विक्रम को भी साथ ले चलने को कहा जिसे उन्होंने नहीं माना तो छात्रा नाराज हो गई थी। बाद में विक्रम ने भी कहीं और सगाई कर ली जिससे नाराज होकर छात्रा ने, विक्रम और प्रो. वशिष्ठ को भी इस मुकदमे में लपेट लिया।

इस मुकदमें में बहुत सारे सवाल अभी जवाब ढूंढ रहे हैं :-

1. पीड़ित छात्रा साईंस की है यानी बीएसएसी की जबकि प्रो. वशिष्ठ कामर्स के हैं तो वो ना इसके 'इन्टरनल' में नम्बर बढा सकते थे, न उसे वार्षिक परीक्षा में पास कर/करा सकते थे। तो छात्रा इनसे नम्बर लगाने/पास कराने की उम्मीद क्यों कर रही थी?

2. छात्रा ने अन्य छात्राओं के बारे में भी बढा-चढा कर दावा किया है जबकि अन्य कोई छात्रा, अपने आरोपों के साथ अभी तक सामने क्यों नहीं आई है?

3. प्रो. इकबाल पर प्रिंसिपल प्रीता कौशिक द्वारा बार-बार आरोप लगाये जाने के बावजूद उस पर जांच क्यों नहीं की गई?

4. पीड़ित छात्रा द्वारा, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी, प्रेस में सीडी क्यों दी गयी। क्या ये चरित्र हनन की कोशिश तो नहीं?

छात्राओं को पास होने के लाले इसलिये पड़े रहते हैं क्योंकि कॉलेज में प्राध्यापकों की भारी कमी है लेकिन उस को दूर करने की तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता। वरना जब साहब बहादुर 'डायरेक्टर जनरल उच्चतर शिक्षा' कॉलेज में आये तो छात्राओं और अभिभावकों और कॉलेज स्टाफ़ को उनका स्वागत जूतों से करना चाहिये था। और साथ ही कॉलेज पर प्रदर्शन करने आये इन संगठनों से भी पूछना चाहिये कि इन्होंने कॉलेज में पूरे प्राध्यापक नियुक्त करवाने के लिये क्या किया?

लड़कियों की अन्य समस्याओं के लिये क्या किया? वरना इनकी भी जूतों से परेड होनी चाहिये न केवल प्राध्यपकों की स्थायी कमी रहती है बल्कि दफ्तरी स्टाफ (क्लर्क) की भारी कमी के चलते छात्राओं को अपने उन कामों के लिये बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो स्वत: हो जाने चाहिये लेकिन सरकार को इन मूल समस्याओं की ओर ध्यान देने की कतई फ़ुरसत नहीं है।

'ऑन लाइन एडमिशन की हकीकत'

हरियाणा सरकार ने बड़े गाजे-बाजे के साथ हरियाणा के सारे कॉलेजों में दाखिले ऑन लाईन करने की घोषणा की है। और इसे एक बड़ा छात्र हितैषी कदम बताते हुए कहा था कि इससे छात्रों व कॉलेजों को भी बहुत सुविधा होगी। लेकिन इससे कितनी सुविधा हुई है यह इसी बात से जाहिर है कि कॉलेजों के अनेकों प्रिंसिपलों ने ऊपर शिक्षा विभाग को लिखा है कि न तो इस कॉलेज में कंप्यूटर ठीक काम करते हैं, न 'इन्टरनेट', और न ही काम के लिये प्रशिक्षित स्टाफ़ है, इसलिये या तो इसके लिये स्टाफ़ दिया जाये वरना वो दाखिले करने में असमर्थ होंगे। उधर छात्र ऑन लाइन एडमिशन फ़ार्म भरने के लिये कितने धक्के खाते हैं और कितने रुपये खर्च करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। उनको जो फ़ार्म 10 रुपये में मिलता था उसी को ऑन लाइन भरवाने के लिये उनको 200-400 रुपये तक देने पड़ रहे हैं।

पूरी दुनिया में ऑन लाईन सिस्टम से लोगों को भारी सुविधा होती है और उसी के लिये किया जाता है लेकिन यहां उससे भारी असुविधा हुई और इसके बावजूद कोई छात्र संगठन चूं तक नहीं कर रहा। विभाग के 'डायरेक्टर जनरल' बहादुर भी आ कर चले गये लेकिन न छात्रों न उनके अभिभावकें ने उनके सामने कोई शिकायत करी, न विरोध। बस यौन शोषण के मुद्दे पर राजनीति करते रहे।

सरकारी नीतियों के चलते ईएसआईसी में मातृत्व अवकाश घोटाला

एक वर्ष में दो से अधिक बार मातृत्व अवकाश

फ़रीदाबाद (म.मो.) ईएसआई द्वारा बीमाकृत महिला श्रमिकों को 6 माह का मातृत्व अवकाश मिलता है। इस दौरान उन्हें पूरा वेतन ईएसआईसी द्वारा दिया जाता है। सरकार की ढीली निगरानी का लाभ उठाते हुए कुछ ठेकेदारों ने, जो विभिन्न कम्पनियों को श्रमिक सप्लाई करते हैं, ईएसआई निगम के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों से मिल कर एक-एक महिला के नाम पर साल में दो से चार बार तक मातृत्व अवकाश के पैसे हड़प लिये। इस तरह सरकारी रिकार्ड में तो 21 महिलाओं ने पैसा लिया दिखाया गया है, परन्तु वास्तव में इनकी संख्या 10 भी नहीं है; यानी प्रत्येक महिला के नाम पर दो से अधिक बार पैसा लिया गया। इससे निगम को करोड़ों की चपत लग चुकी है।

आन्तरिक ऑडिट के दौरान मामला पकड़ में आने के बाद ईएसआईसी के सेक्टर 23 व 27 बी स्थित ब्रांच कार्यालयों के मैनेजरों व क्लर्कों सहित 6 को निलम्बित करने के साथ-साथ सीबीआई में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

अभी तक पकड़ में आया यह मामला तो केवल देश भर के दो ब्रांच कार्यालयों का है। न मालूम इस तरह के कितने घोटाले देश भर के कितने स्थानों पर चल रह होंगे, कहा नहीं जा सकता। इस तरह के घोटालों के पीछे सरकार की मज़दूर विरोधी यह नीति है। जिसके अनुसार अब कम्पनियों में स्थाई श्रमिकों के स्थान पर ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये गये श्रमिक रखे जाते हैं। इन श्रमिकों को यह नहीं पता रहता कि कल ये कौन सी कम्पनी में काम पर जायेंगे? दूसरे सरकार ने इन्स्पेक्टरों द्वारा कम्पनियों के भीतर जाकर मौके पर श्रमिकों का निरीक्षण करने पर पावंदी लगा रखी है। अब न तो ईएसआईसी का न ही भविष्यनिधि का और न ही श्रम विभाग के इन्स्पेक्टर कम्पनी में घुस कर श्रमिकों का निरीक्षण कर सकते हैं।

किसी भी कम्पनी में स्थाईतौर पर काम करने वाली किसी भी महिला श्रमिक एवं कम्पनी मालिकान द्वारा यह संभव नहीं हो सकता कि किसी महिला का इस तरह गलत ढंग से मातृत्व अवकाश का पैसा लिया जा सके। दूसरे यदि इन्स्पेक्टर नियमित कम्पनियों के भीतर जा कर कार्यस्थल पर श्रमिकों का निरीक्षण करें तो भी इस तरह की हेरा-फ़ेरी पर रोक रहती है।

इतना ही नहीं ठेकेदारी के बल पर चलती इस व्यवस्था में यदि किसी बुजुर्ग का इलाज ईएसआईसी के खर्चे पर कराना हो तो ये ठेकेदार अपने किसी बीमाकृत श्रमिक के पिता का नाम बदलकर उस बुजुर्ग का नाम चढ़ा देते हैं और इलाज पूरा हो जाने के बाद उस नाम को फिर से बदल देते हैं। इसी तरह की अनेक गड़बड़िया करके ईएसआईसी को भारी चूना लगाया जा रहा है। कार्पोरेशन मजदूरों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें न देकर व स्टाफ की भारी मात्रा में रिक्त पड़े स्थानों न भरकर जो बचत करता है उससे कहीं अधिक का चूना इन घोटाला द्वारा निगम को लग रहा है।

कुल मिलाकर सरकार की इन्हीं मज़दूर विरोधी नीतियों के चलते ही इस तरह के घोटाले सम्भव हो पा रहे हैं।

रीजिनल डायरेक्टर की ओछी हरकत

एनएच-3 स्थित मैडिकल कॉलेज अस्पताल में 200 दफ्तरी स्टाफ की जगह मात्र पचास से ही काम को जैसे-तैसे घसीटा जा रहा है। यहां स्टाफ उपलब्ध कराने का दायित्व रीजिनल डायरैक्टर का है। अपने इस दायित्व का दुरुपयोग करते हुए आरडी ने मातृत्व घोटाले में लिप्त कर्मचारियों को निलम्बन से पहले मैडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया था। अब इन निलम्बित कर्मचारियों को प्रशासनिक तौर पर यह अस्पताल भुगतेगा। यहां प्रश्न यह उठता है कि आरडी ने इन कर्मचारियों को अपने यहां क्यों नहीं रखा।